(134)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 4260/पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 116/अपील/2014-15.

आनंद पूर्ण प्रज्ञानंद आनंदमार्ग प्रचारक
बी.आई.पी. नगर, तिजला कोलकाता,
हाल निवासी ग्राम रमडी तह. चाचोड़ा,
जिला गुना, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

सुशीला बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
निवासी मठ कॉलोनी, आरोन जिला गुना, म.प्र.

.....अनावेदक

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 30.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय, चाचोडा, जिला गुना के समक्ष आवेदक द्वारा भूमिस्वामी लक्ष्मीनारायण के फौत होने पर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्र. 393/1 रकबा 1.000 हैक्टेयर ग्राम रमडी पर वसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग की गई।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण 10/अ-6/13-14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं दिनांक 10.03.2014 को आवेदन इस आधार पर अस्वीकर किया गया कि भूमिस्वामी लक्ष्मीनारायण के फौत होने पर उसके स्थान पर वारिसान के आधार पर सुशीलाबाई का नामांतरण हो चुका है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, चाचोड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.2014 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.11.2016 से अपील अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अनुचित, अव्यवहारिक, अनियमित, असंगत एवं क्षेत्राधिकार के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण ने अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित भूमि को आनंद मार्ग प्रचारक संघ को की जा चुकी है। उक्त भूमि पर आश्रम बनवाया है। भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड वसीयत इच्छा पत्र आवेदक आनंद मार्ग प्रचारक संघ के पक्ष में कर गये थे कि मैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ में अपना विश्वास और आस्था रखता हूँ। इसलिए मैं अपनी ग्राम रमडी स्थित उक्त भूमि को उनके हित में वसीयत करने का निश्चित किया है, जो वसीयत इच्छा पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 30.07.1992 को विधिवत गवाह के समक्ष किया गया है।

(3) आवेदक द्वारा भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण की मृत्यु दिनांक 30.07.2013 को होने के बाद तहसील न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2014 को नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था, परंतु तहसीलदार द्वारा आवेदक का नामांतरण आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उक्त विवादित भूमि पर पंजी क्र. 17 दिनांक 12.11.2013 से वारिसान के आधार पर अनावेदक सुशीलाबाई के पक्ष में हो गया है। इसलिए नामांतरण आवेदन निरस्त किया गया।

(4) आवेदक द्वारा अनावेदक के पंजी क्र. 17 के नामांतरण आदेश दिनांक 12.11.2013 एवं अपने नामांतरण निरस्ती आदेश दिनांक 10.03.2014 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी चाचोडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील का गुण दोषों पर निराकरण किये बगैर ही निरस्त कर दी गई।

(5) अनुविभागीय अधिकारी के अपील में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील पेश की गई। अपर आयुक्त द्वारा रिकार्ड का अध्यन किये बगैर ही रिकार्ड के विपरीत जाकर अपील निरस्त कर दी गई एवं आदेश के पैरा 7 में यह उल्लेख करते हुए अपील निरस्त कर दी गई कि आवेदक को नामांतरण पंजी की जानकारी होने के बावजूद भी अनावेदक के आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, परंतु अपर आयुक्त द्वारा इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया कि जब आवेदक को अपने नामांतरण आदेश निरस्त हुआ तभी जानकारी हुआ कि अनावेदक के पक्ष में नामांतरण हो गया है, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की जा चुकी है। इस बिंदु पर ध्यान दिये बगैर रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य न होकर निरस्ती योग्य है।

(6) ग्राम पटवारी मौजा एवं राजस्व अधिकारी को भली भांति जानकारी थी कि उक्त भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण की भूमि पर काफी लम्बे से आश्रम बनकर संचालित है, परंतु फिर भी लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के उपरांत वारिसान के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्र पर से एकपक्षीय रूप से नामांतरण किया गया, जिसमें आवेदक को कोई सूचना व जानकारी नहीं दी गई और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 109, 110 तथा नियम 27 का पालन किया गया है। बगैर नियम व कानून का पालन किये इश्तहार प्रकाश किये बगैर मनमाने पूर्ण तरीके से अनावेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है।

(7) उक्त भूमि पर आज भी एक भव्य आश्रम बना हुआ है, जिस पर काफी आम जनता का आना जाना आज भी बना हुआ है, जो भव्य आश्रम भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण के जीवन काल में ही बना हुआ है, उन्हीं की इच्छा से सही उक्त भूमि पर आश्रम का निर्माण कराया गया है। इच्छा पत्र भी लिख गये हैं कि मेरी भूमि पर आवेदक के नाम रजिस्टर्ड कर गये हैं। उक्त भूमि पर जिस अनावेदक का नामांतरण वारिसान के आधार पर हुआ है, उस पुत्री

का विवाह काफी समय पहले ही कर दिया गया है, जो अपने ससुराल में रह रही है, उनका उक्त भूमि पर कोई अधिकार ही नहीं है, जो काफी लम्बे समय से आना जाना भी नहीं रहा है। उक्त भूमि को हड़प लेने के उद्देश्य से उक्त नामांतरण को अपने पक्ष में करा लिया है, जबकि आज उक्त भूमि पर आश्रम संचालित है, जिस पर लोगों का आना जाना है। धार्मिक स्थल है, जो मूल भूमि स्वामी की इच्छा से संचालित है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक का कहना है कि प्रश्नाधीन भूमि पर पहले से उसका कब्जा होकर आश्रम बना है। उसके पास वसीयत भी है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को उसे वसीयत प्रमाणित करने का अवसर देना था। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अत: प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किये जाने हेतु तहसीलदार की ओर प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी, चाचोड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.3014 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2014 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह मौके के कब्जे की जांच तथा उभय पक्षों को सुनकर वसीयत का परीक्षण कर पुन: आदेश पारित करे।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर